:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 348/16

दायर दिनांकः– 01.08.2016
निर्णय दिनांकः– 17.06.2022

1 श्री रतना पिता लाखा डामोर
2 श्री वापु पिता लाखा डामोर निवासी शिशोट तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीगण

वनाम

1 श्री लाखा पिता वेसात डामोर
2 श्री भूरा पिता लाखा डामोर
3 श्री सोमा पिता लाखा डामोर
4 श्रीमती मीरा पत्नि सोमा डामोर
1/1– श्री जीवराज
1/2– श्री शंकरलाल
1/3– सुश्री मंजुला
1/4– श्री सोमा
5 श्रीमती रूखी पत्नि भूरा डामोर
6 श्री मान भूमिधारी तहसीलदार चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम</u>

<u>सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी</u>

उपस्थितः– श्री वालगोविन्द पाटीदार वादी की और से

निर्णय दिनांक 17.06.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 लाखा, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के पिता है। प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 वादीगण के भाई सोमा व भुरा की पत्नियां है। वादीगण के दादा का नाम वेसात तथा वेसात के पिता का नाम कला होकर, वेसात व कला का देहान्त हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण लाखा, भुरा सोमा, की पैतृक कब्जे काश्त की भूमि गांव शिशोट में स्थित है। मौजा शिशोट में आराजी नम्बर 347, 348, 349, 435, 441, 443, 444, 445, 490 होकर स्थित है जिसमें से आराजी नम्बर 349 व 435 के अलावा अन्य भुमि पैतृक होकर विरासती भूमि है तथा उपरोक्त आराजी नम्बर 347, 348, 349, 435, 441, 443, 444, 445, 490 के पुर्ववर्ती नम्बर संवत 2028 अनुसार 347 का 329, 348 का 330, 441 का 410, 443 का 412, 444 का 413, 445 का 413, 490 का 449 होकर तथा उपरोक्त आराजी 329, 330, 410, 412, 413, 449 के पुर्ववती नम्बर संवत 2022 अनुसार 224, 225, 285, 312 होकर उपरोक्त आराजी नम्बर 224, 225, 285, 312 के खातेदार काश्तकार के रूप में वादीगण के दादा वेसात व उनके भाई रामा का नाम दर्ज है तथा वाद में यह भूमिया वादीगण के पिता लाखा के पास आई तथा अन्य भूमि वर्तमान आराजी नम्बर में दर्ज रहा होकर वादीगण के पिता ने अपनी भूमि आराजी

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

नम्बर 435, 443 तो वादी रतना को करीब 25 वर्ष पूर्व सुपुर्द कर मौके पर कब्जा सौपा तथा इसी प्रकार आराजी 441, 444, 445 वादी बापूलाल को करीब 25 वर्ष पूर्व सुपुर्द कर मौके पर कब्जा सौपा जिस पर वर्तमान में भी कब्जा वादीगण का है। आराजी नम्बर 441, 443, 444, 445 विरासती भूमि होने तथा मौके पर आराजी नम्बर 441, 444, 445 पर कब्जा वादी बापुलाल को होने तथा 443 व 435 पर वादी रतना का कब्जा होने के बावजुद प्रतिवादी लाखा द्वारा समाज में प्रचलित रिति रिवाज परम्पराओं से इतर जाते हुवे बक्षीस नामा रजिस्ट्रीकरण दिनांक 06.06.2012 के दस्तावेजात के जरिये आराजी नम्बर 435 एवं अन्य भुमि 490 को बक्षीस प्रतिवादी रूखी के नाम कर दिया वादी रतना को मात्र आराजी नम्बर 435 बाबत आपति है क्योकि इस भूमि पर कब्जा वादी रतना का होकर कब्जा काश्त वादी रतना का चला है। तथा इसी प्रकार आराजी नम्बर 441, 443, 444, 445 का रजिस्ट्रीकरण दिनांक 06.06.2012 के दस्तावेज बक्षीस नामा के जरिये प्रतिवादी मीरा के नाम पर करा दिया जबकि प्रतिवादी लाखा को इस तरह के दस्तावेज को संपादित करने का कोई अधिकार नहीं था क्योकि आराजी नम्बर 441, 443, 444, 445 भूमि विरासती होने तथा वादीगण का भी हक हिस्सा होने के साथ साथ उन्हे सुपुर्द भी की गई थी। तथा आराजी नम्बर 435 पर कब्जा काश्त वादी रतना का चला आ रहा था। प्रतिवादी लाखा द्वारा आराजी नम्बर 435, 441, 443, 444, 445 के अलावा अन्य भूमि का बक्षीसनामा से हवाला दिया है लेकिन उन भूमियों से वादीगण का कोई सरोकार नहीं है यदपि अन्य कुछ भूमिया भी पैतृक है लेकिन उसमें अन्य वादीगण भुरा व सोमा को हक हिस्सा कब्जा प्रतिवादी लाखा द्वारा पूर्व में सुपुर्द कर दिया गया था इस कारण वादीगण उस बाबत कोई आपति करना उचित नहीं समझते है प्रतिवादी लाखा को वादीगण को सुपुर्द कि जा चुकी पैतृक भूमिया 441, 443, 444, 445 बाबत बक्षीस नामा संपादित करने का न तो विधि कोई अधिकार प्रदान करती थी और वादीगण एवं प्रतिवादीगण के जाति रिवाज में प्रचलित परम्पराये या रितिरिवाज प्रदत करते थे इसी प्रकार आराजी नम्बर 435 बाबत भी बक्षीस संपादित करने का प्रतिवादी लाखा को कोई अधिकार नहीं था तथा वादीगण का आराजी नम्बर 435, 441, 443, 444, 445 पर गत 25 वर्ष से कब्जा होने का तथ्य प्रतिवादी लाखा के अलावा अन्य प्रतिवादीगण को जानकारी में प्रारम्भ से ही रहा है। बक्षीस नामा दिनांक रजिस्ट्रीकरण दिनांक 6.6. 2012 जो प्रतिवादी लाखा द्वारा प्रतिवादी रूखी के पक्ष में आराजी नम्बर 435, 490 बाबत संपादित किया है जिसमे आराजी नम्बर 435 पर वादी रतना का कब्जा काश्त है उपरोक्त कब्जा काश्त गत 25 वर्ष के उपर के समय से बना हुआ है तथा यह कब्जा प्रतिवादीगण समस्त की जानकारी में बेरोकटोक चला आ रहा है तथा प्रतिकूल कब्जा भी माना जावे तो परिपक्व हो चूका है। ऐसी परिस्थति में उपरोक्त बक्षीस नामा दिनांक 6.6.2012 आराजी नम्बर 435 के स्तर तक पर वादी रतना के विरूद्ध शून्य व प्रभावहिन घोषित किया जाना आवश्यक हे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी लाखा द्वारा प्रतिवादी मीरा के पक्ष में आराजी नम्बर 347, 348 ,349, 441, 443 ,444, 445 बाबत् संपादित किया जिसमे आराजी नम्बर 441, 443, 444, 445 पैत्रक भूमि होकर वादी रतना को आराजी नम्बर 443 व वादी बापूलाल को आराजी नम्बर 441, 444, 445 लगभग 25 वर्ष पूर्व सूपूर्द की गई है ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त बक्षीस नामा दिनांक 6.6.2012 आराजी नम्बर 441, 443, 444, 445 के स्तर तक वादी रतना व बापूलाल के विरूद्ध शून्य व प्रभावहिन है इस बात की घोषणा की जाना आवश्यक है। क्योकि उपरोक्त भूमियों पैत्रक भूमि होने तथा वादीगण का हित होने तथा कब्जा काश्त लगातार 25 वर्ष से चला आने से प्रतिवादी लाखा को उपरोक्त भूमीयो बाबत् संपादित करने का कोई अधिकार नही था। प्रतिवादीगण मीरा व रूखी वाद ग्रस्त भूमि अपने नाम पर होने के आधार पर भूमि का विक्रय कर सकते है या अन्य प्रकार से हस्तांतरित कर सकते है एसी परिस्थति में उनके विरूद्ध इस बात कि स्थायी

उपखण्ड अधिकारी
सिमलवाड़ा जि. डूंगरपुर

निषेधाज्ञा जारी की जावे की प्रतिवादीगण वाद ग्रस्त भूमि मे वादीगण के या उसके परिवार के कृषि कार्य में किसी प्रकार की रूकावट पैदा न स्वयं करे न अपने परिवारजन मित्र एजेन्ट ठेकेदार से करावे तथा वादीगण के हिस्से रकबे पर अतिक्रमण निर्माण का प्रयास न स्वयं करे न अपने परिवारजन मित्र एजेन्ट ठेकेदार से करावे तथा वादीगण के हिस्से के उपरोक्त भूमि के रकबे को मात्र खाते में नाम के आधार पर आवादी परिवर्तन या किस्म परिवर्तन, हस्तांतरण न करे न किसी प्रकार से उपरोक्त रकबे पर ऋण लेवे यदि उनके द्वारा एसा किया जाता हे या एसा कोई दस्तावेज संपादित किया जाता है तो उससे वादी वाधित नहीं होगा तथा इस तरह का दस्तावेज वादी के विरूद्ध शून्य व प्रभावहिन दस्तावेज होगा। दोराने वाद वादीगण के हिस्से के रकबे पर कब्जा अतिक्रमण निर्माण किये जाने पर उसे हटाया जावे तथा कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। आराजी नम्बर 435 चूकी पैतृक भूमि नहीं है लेकिन आराजी नम्बर पर वादी रतना का कब्जा लगभग 25 वर्ष से बेरोकटोक लगातार प्रतिवादीगण की जानकारी में बना हुआ हे तथा उपरोक्त प्रतिकूल कब्जा परिपक्व हो चूका हैं। वादी रतना को आराजी नम्बर 435, 443 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा वादी बापूलाल को आराजी नम्बर 441, 444, 445 की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा कब्जा काश्त लगातार चला आना घोषित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी मीरा के पक्ष में संपादित बक्षीस नामा के आधार पर इंतकाल संख्या 516 प्रमाणीत किया गया तथा प्रतिवादी रूखी के पक्ष में संपादित बक्षीस नामा के आधार पर इंतकाल संख्या 515 प्रमाणीत किया गया लेकिन बक्षीस नामा के गलत वातो का इन्द्राज किये जाने तथा मोके पर कब्जा वादीगण का होने से उपरोक्त इंतकाल को वादीगण के विरूद्ध शून्य व प्रभावहिन है इस बात की घोषणा को किया जाना आवश्यक है। बक्षीस नामा मे पैत्रक भूमि को बक्षीस दिये जाने का उल्लेख है तथा पैत्रक भूमि होने से वादीगण का ही हित निहीत होने से तथा मोके पर कब्जा वादीगण का होने से उपरोक्त वादग्रस्त दोनो बक्षीसनामा अपने पंजीकरण दिनांक 6.6.2012 से संपादित किये जाने की दिनांक से ही वादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार से अपना प्रभाव नही रखता है जिसे वादीगण द्वारा वाद में चाहे गये अनूसार वादीगण के विरूद्ध शून्य व प्रभावहिन घोषित किये जाने का माननीय न्यायालय को पूर्ण अधिकार है। वादीगण का वाद मूल रूप से खातेदारी अधिकारों का होकर वादीगण अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी होने से का है एसी परिस्थिति में वाद की सूनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को है। पूर्व मे एक वाद माननीय न्यायालय आप में पेश किया गया था लेकिन बिना पूर्ण सूनवाई के तथा प्रतिवादीगण द्वारा आश्वस्त किया गया था कि वह आपसी समझौता कर लेगे लेकिन उनके द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया तथा अंतिम रूप से दिनांक 11.5.2016 को इंकार कर दिया गया जिससे वाद कारण लगातार पैदा हो रहा है ।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किये गये। प्रतिवादीगण की और अधिवक्ता भगवान गुर्जर उपस्थित हुए।

प्रतिवादीगण के और से जवाव दिनांक 20.12.2016 को प्रस्तुत कर वादी के वाद को अस्वीकार का वादीगण के खाते एवं कब्जे की भुमि गांव शिशोट में होगा अस्वीकार किया है वहीं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की खातेदारी जमीन ही गांव शिशोट में स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण काविज होकर काश्त करते आ रहे है। ऐसे में वादीगण को हक हिस्सा नहीं होने की वात कर का वाद खारिज किया जाए।

वादी के वाद व प्रतिवादी के जवाव दावे के तनकियात कायम की गई।

दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमति मीरा पत्नि सोमा के दिनांक 18.03.2019 को फोत हो जाने पर उनके विधिक वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक समझा गया। जिस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 33 नियम 4 जाप्ता दीवानी

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें विधिक वारिसान जीवराज, शंकरलाल, मंजुला, सोमा होना पाया गया। जिस पर सोमा रिकॉर्ड पर होने से अन्य वारिसानों को नोटिस जरीए तलब किया गया है। जिसकी और से अधिवक्ता कालुराम डामोर उपस्थित हुए। पत्रावली में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी साक्ष्य को लेकर कई वारबार आवाज लगने के वावजुद वकील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने के बाद भी पक्षकार के न्यायाहित को देखकर अंतिम अवसर दिया गया है।
वादी ने साक्ष्य प्रस्तुत की। तथा वादी ने अपने समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्ल्यु 1– रतना पिता लाखा डामोर निवासी शिशोट
2 पीडब्ल्यु 2– बापु पिता लाखा डामोर निवासी शिशोट
3 पीडब्ल्यु 3– कालु पिता लालु डामोर निवासी शिशोट
4 पीडब्ल्यु 4– रामचन्द्र पिता मोती डामोर निवासी शिशोट
5 प्रदर्श पी–1 खाताबंदी खतोंनी
6 प्रदर्श पी–2 खाताबंदी खतोनी
7 प्रदर्श पी–3 फर्द तुलनात्मक
8 प्रदर्श पी–4 भु–प्रबन्ध सेंटलमेंट विभाग
9 प्रदर्श पी–5 महकमा बंदोबस्त रियासत विभाग डूंगरपुर संवत 2022
10 प्रदर्श पी–6 दस्तावेज बक्षीसनामा
11 प्रदर्श पी–7 दस्तावेज बक्षीसनामा
12 प्रदर्श पी–8 नामान्तरण नकल

पत्रावली में साक्ष्य वादी के शपथ पत्र पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को अवसर देने के बावजुद प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा जिरह नही की गई। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी एवं वादी वकील ने अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहा। साक्ष्य वादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते एक पक्षीय बहस दिनांक 22.04. 2022 को पेश है।

पत्रावली में विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस में वकील वादी ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के तथ्यों को दोहराया। प्रतिवादी संख्या 1 लाखा, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के पिता है। प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 वादीगण के भाई सोमा व भुरा की पत्नियां है। वादीगण के दादा का नाम वेसात तथा वेसात के पिता का नाम कला होकर, वेसात व कला का देहान्त हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण लाखा, भुरा सोमा, की पैतृक कब्जे काश्त की भूमि गांव शिशोट में स्थित है। मौजा शिशोट में आराजी नम्बर 347, 348, 349, 435, 441, 443, 444, 445, 490 होकर स्थित है जिसमें से आराजी नम्बर 349 व 435 के अलावा अन्य भुमि पैतृक होकर विरासती भूमि है तथा उपरोक्त आराजी नम्बर 347, 348, 349, 435, 441, 443, 444, 445, 490 के पुर्ववर्ती नम्बर संवत 2028 अनुसार 347 का 329, 348 का 330, 441 का 410, 443 का 412, 444 का 413, 445 का 413, 490 का 449 होकर तथा उपरोक्त आराजी 329, 330, 410, 412, 413, 449 के पुर्ववती नम्बर संवत 2022 अनुसार 224, 225, 285, 312 होकर उपरोक्त आराजी नम्बर 224, 225, 285, 312 के खातेदार काश्तकार के रूप में वादीगण के दादा वेसात व उनके भाई रामा का नाम दर्ज है तथा बाद में यह भूमिया वादीगण के पिता लाखा के पास आई तथा अन्य भूमि वर्तमान आराजी नम्बर में दर्ज रहा होकर वादीगण के पिता ने अपनी भूमि आराजी नम्बर 435, 443 तो वादी रतना को करीब 25 वर्ष पूर्व सुपुर्द कर मौके पर

कब्जा सौपा तथा इसी प्रकार आराजी 441, 444, 445 वादी बापूलाल को करीब 25 वर्ष पूर्व सुपुर्द कर मौके पर कब्जा सौपा जिस पर वर्तमान में भी कब्जा वादीगण का है। आराजी नम्बर 441, 443, 444, 445 विरासती भूमि होने तथा मौके पर आराजी नम्बर 441, 444, 445 पर कब्जा वादी बापुलाल को होने तथा 443 व 435 पर वादी रतना का कब्जा होने के बावजुद प्रतिवादी लाखा द्वारा समाज में प्रचलित रिति रिवाज परम्पराओं से इत्तर जाते हुवे बक्षीस नामा रजिस्ट्रीकरण दिनांक 06.06.2012 के दस्तावेजात के जरिये आराजी नम्बर 435 एवं अन्य भुमि 490 को बक्षीस प्रतिवादी रूखी के नाम कर दिया वादी रतना को मात्र आराजी नम्बर 435 बाबत आपति है क्योकि इस भूमि पर कब्जा वादी रतना का होकर कब्जा काश्त वादी रतना का चला है। तथा इसी प्रकार आराजी नम्बर 441, 443, 444, 445 का रजिस्ट्रीकरण दिनांक 06.06.2012 के दस्तावेज बक्षीस नामा के जरिये प्रतिवादी मीरा के नाम पर करा दिया जबकि प्रतिवादी लाखा को इस तरह के दस्तावेज को संपादित करने का कोई अधिकार नहीं था क्योकि आराजी नम्बर 441, 443, 444, 445 भूमि विरासती होने तथा वादीगण का भी हक हिस्सा होने के साथ साथ उन्हे सुपुर्द भी की गई थी। तथा आराजी नम्बर 435 पर कब्जा काश्त वादी रतना का चला आ रहा था। प्रतिवादी लाखा द्वारा आराजी नम्बर 435, 441, 443, 444, 445 के अलावा अन्य भूमि का बक्षीसनामा से हवाला दिया है लेकिन उन भूमियों से वादीगण का कोई सरोकार नहीं है यदपि अन्य कुछ भूमिया भी पैतृक है लेकिन उसमें अन्य वादीगण भुरा व सोमा को हक हिस्सा कब्जा प्रतिवादी लाखा द्वारा पूर्व में सुपुर्द कर दिया गया था इस कारण वादीगण उस बाबत कोई आपति करना उचित नहीं समझते है प्रतिवादी लाखा को वादीगण को सुपुर्द कि जा चुकी पैतृक भूमिया 441, 443, 444, 445 बाबत बक्षीस नामा संपादित करने का न तो विधि कोई अधिकार प्रदान करती थी और वादीगण एवं प्रतिवादीगण के जाति रिवाज में प्रचलित परम्पराये या रितिरिवाज प्रदत करते थे इसी प्रकार आराजी नम्बर 435 बाबत भी बक्षीस संपादित करने का प्रतिवादी लाखा को कोई अधिकार नहीं था तथा वादीगण का आराजी नम्बर 435, 441, 443, 444, 445 पर गत 25 वर्ष से कब्जा होने का तथ्य प्रतिवादी लाखा के अलावा अन्य प्रतिवादीगण को जानकारी में प्रारम्भ से ही रहा है। बक्षीस नामा दिनांक रजिस्ट्रीकरण दिनांक 6.6.2012 जो प्रतिवादी लाखा द्वारा प्रतिवादी रूखी के पक्ष में आराजी नम्बर 435, 490 बाबत संपादित किया है जिसमे आराजी नम्बर 435 पर वादी रतना का कब्जा काश्त है उपरोक्त कब्जा काश्त गत 25 वर्ष के उपर के समय से बना हुआ है तथा यह कब्जा प्रतिवादीगण समस्त की जानकारी में बेरोकटोक चला आ रहा है तथा प्रतिकूल कब्जा भी माना जावे तो परिपक्व हो चूका है। ऐसी परिस्थति में उपरोक्त बक्षीस नामा दिनांक 6.6.2012 आराजी नम्बर 435 के स्तर तक पर वादी रतना के विरूद्ध शून्य व प्रभावहिन घोषित किया जाना आवश्यक हे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी लाखा द्वारा प्रतिवादी मीरा के पक्ष में आराजी नम्बर 347, 348 ,349, 441, 443 ,444, 445 बाबत् संपादित किया जिसमे आराजी नम्बर 441, 443, 444, 445 पैत्रक भूमि होकर वादी रतना को आराजी नम्बर 443 व वादी बापूलाल को आराजी नम्बर 441, 444, 445 लगभग 25 वर्ष पूर्व सूपूर्द की गई है ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त बक्षीस नामा दिनांक 6.6.2012 आराजी नम्बर 441, 443, 444, 445 के स्तर तक वादी रतना व बापूलाल के विरूद्ध शून्य व प्रभावहिन है इस बात की घोषणा की जाना आवश्यक है। क्योकि उपरोक्त भूमियॉ पैत्रक भूमि होने तथा वादीगण का हित होने तथा कब्जा काश्त लगातार 25 वर्ष से चला आने से प्रतिवादी लाखा को उपरोक्त भूमीयो बाबत् संपादित करने का कोई अधिकार नही था। ऐसे मे बक्षीस नामा दिनांक 6.6.2012 आराजी नम्बर 435 के स्तर तक पर वादी रतना के विरूद्ध शून्य व प्रभावहिन व बक्षीस नामा दिनांक 6.6.2012 आराजी नम्बर 441, 443, 444, 445 के स्तर तक वादी रतना व बापूलाल के विरूद्ध शून्य व प्रभावहिन धेषित किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
डिग्गी जि. डूंगरपुर

हमने विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय वहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वाद में विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस से जाहीर होता है कि वाद में तनकी वार निर्णय नहीं कर सीधा निर्णय करना उचित समझता हुं।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 लाखा, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 के पिता है। प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 वादीगण के भाई सोमा व भुरा की पत्नियां है। वादीगण के दादा का नाम वेसात तथा वेसात के पिता का नाम कला होकर, वेसात व कला का देहान्त हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण लाखा, भुरा सोमा, की पैतृक कब्जे काश्त की भूमि गांव शिशोट में स्थित है। मौजा शिशोट में आराजी नम्बर 347, 348, 349, 435, 441, 443, 444, 445, 490 होकर स्थित है जिसमें से आराजी नम्बर 349 व 435 के अलावा अन्य भुमि पैतृक होकर विरासती भूमि है तथा उपरोक्त आराजी नम्बर 347, 348, 349, 435, 441, 443, 444, 445, 490 के पुर्ववर्ती नम्बर संवत 2028 अनुसार 347 का 329, 348 का 330, 441 का 410, 443 का 412, 444 का 413, 445 का 413, 490 का 449 होकर तथा उपरोक्त आराजी 329, 330, 410, 412, 413, 449 के पुर्ववती नम्बर संवत 2022 अनुसार 224, 225, 285, 312 होकर उपरोक्त आराजी नम्बर 224, 225, 285, 312 के खातेदार काश्तकार के रूप में वादीगण के दादा वेसात व उनके भाई रामा का नाम दर्ज है है तथा बाद में यह भूमिया वादीगण के पिता लाखा के पास आई उसके समर्थन मे वादीगण ने प्रदर्श 1 से 5 प्रस्तुत किये है तथा विरासती भूमि आराजी नम्बर 435, 443 पर वादी रतना का व आराजी सख्या 441, 444, 445 पर वापुलाल का लगातार करीव 25 वर्ष से कब्जा काश्त है व उक्त आराजी वादीगण की विरासती आराजी है तथा पारीवारीक वंटवारे मे वादीगण को 25 वर्ष पुर्व उनके पिता द्वारा सुपुर्द कर मौके पर कब्जा सौपा था उसके बावजुद प्रतिवादी लाखा द्वारा समाज में प्रचलित रिति रिवाज परम्पराओं से इतर जाते हुवे वक्षीस नामा रजिस्ट्रीकरण दिनांक 06.06.2012 के दस्तावेजात के जरिये आराजी नम्बर 435 एवं अन्य भुमि 490 को वक्षीस प्रतिवादी रुखी के नाम कर दिया वादी रतना को मात्र आराजी नम्बर 435 बावत आपति है क्योकि इस भूमि पर कब्जा वादी रतना का होकर कब्जा काश्त वादी रतना का चला है। तथा इसी प्रकार आराजी नम्बर 441, 443, 444, 445 का रजिस्ट्रीकरण दिनांक 06.06.2012 के दस्तावेज वक्षीस नामा के जरिये प्रतिवादी मीरा के नाम पर करा दिया जबकि प्रतिवादी लाखा को विरासती आराजी का इस तरह के दस्तावेज को संपादित करने का कोई अधिकार नहीं था क्योकि आराजी नम्बर 441, 443, 444, 445 भूमि विरासती होने तथा वादीगण का भी हक हिस्सा होने के साथ साथ उन्हे सुपुर्द भी की गई थी। तथा आराजी नम्बर 435 पर कब्जा काश्त वादी रतना का चला आ रहा था। पैतृक हिस्से अनुसार भी वादीगण का इतना ही हिस्सा वनता है। एवं इतने से कम हिस्से पर ही वादी रतना, बापु द्वारा दावा किया गया है। अतः ऐसे में विधि एवं नियमानुसार में उपरोक्त दोनो वक्षीस नामा दिनांक 6.6.2012 आराजी नम्बर 435 रकवा 1.11 वीघा , 441 रकवा 0.18 वीघा, 443 रकवा 0.08 वीघा, 444 रकवा 0.12 वीघा, 445 रकवा 0.08 वीघा के स्तर तक वादी रतना व बापूलाल के विरुद्ध शून्य व प्रभावहिन करने , नामान्रण सख्या 515 व 516 को वादीगण के विरुद शुन्य उंव प्रभावहीन धोषित करना और ग्राम शिशेट की आराजी सख्या 435 व 443 को वादी रतना के नाम व ग्रामशिशेट की आराजी सख्या 441, 444 व 445 को वादी वापुलाल के नाम दर्ज कर वादीगण को खातेदार काश्तकार धेपित करना उचित समझता हुं । तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पावन्द किया जाना भी उचित समझता हुं कि कि

उपखण्ड अधिकारी
सिमलवाड़ा जि. डूंगरपुर

प्रतिवादीगण मौजा शिशोट की आराजी सख्या 435, 441,443, 444 व 445 मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा न करे।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा शिशोट आराजी नम्बर 435 रकबा 1.11 बीघा, 441 रकबा 0.18 बीघा, 443 रकबा 0.08 बीघा, 444 रकबा 0. 12 बीघा, 445 रकबा 0.08 बीघा के स्तर तक बक्षीस नामा दिनांक 6.6.2012 को वादी रतना व बापूलाल के विरूद्ध शून्य व प्रभावहिन कर उक्त बक्षीसनामा के आधार पर खोले गये नामान्तरण सख्या 515 व 516 को वादीगण के विरुद शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जाता है और ग्राम शिशोट की आराजी सख्या 435 रकबा 1.11 बीघा व 443 रकबा 0.08 बीघा को वादी रतना के नाम व ग्राम शिशोट की आराजी सख्या 441 रकबा 0.18 बीघा, 444 रकबा 0.12 बीघा, व 445 रकबा 0.08 बीघा को वादी बापुलाल के नाम दर्ज कर बादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । तथा प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना भी उचित समझता हुं कि कि प्रतिवादीगण मौजा शिशोट की आराजी सख्या 435, 441,443, 444 व 445 मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा न करे। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(श्रीकांत व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली चीखलीपुर

आदेश आज दिनांक 17.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीकांत व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर